

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखा सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दत्तमत और भारित व्ययों का लेखा है जो विनियोग अधिनियम की उल्लेखित अनुसूची में विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदान एवं भारित विनियोग की राशियों के अनुरूप है, ये, लेखे मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों और पुनर्विनियोगों की स्पष्ट सूची बनाते हैं तथा विभिन्न उल्लेखित सेवाओं पर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के साथ-साथ विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट के दोनों भारित एवं दत्तमत मदों को बताते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी को आसान बनाते हैं, वे वित्त लेखे के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन की लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विविध अनुदानों में किया गया वास्तविक व्यय विनियोग अधिनियम की प्राधिकृत राशि के अन्तर्गत है तथा सांविधान के अनुरूप भारित है। लेखा परीक्षा यह भी सुनिश्चित करती है कि किया गया व्यय विधिसम्मत नियम, कानून, विनियम और निर्देशों के अनुरूप है।

2.1.3. बिहार बजट नियमावली के अनुसार विभिन्न विभगों से बजट अनुमान का आकलन प्राप्त कर वार्षिक बजट तैयार करने के लिए वित्त विभाग उत्तरदायी है। नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा आय एवं व्यय तैयार कर विभागीय अनुमान विभागाध्यक्ष से सलाह प्राप्त कर वांछित तिथियों को वित्त विभाग को समर्पित करेगा। वित्त विभाग विस्तृत अनुमान संचित कर ‘अनुदानों की मांग’ तैयार करेगा। बजट तैयार करने में जहाँ तक संभव हो वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के निकट पहुँचना चाहिए। इस प्रत्याशित व्यय एवं राजस्व दोनों के प्राक्कलन करने में दूर्योगों को छोड़ना चाहिए। किसी प्राक्कलन में परिहार्य अतिरिक्त प्रावधान उतना ही बजटीय अनियमितता है जितना कि स्वीकृत व्यय में अधिकता। प्रक्रिया से तात्पर्य है कि किसी विशिष्ट मद पर व्यय के आकलन में प्रदत्त राशि वह राशि होनी चाहिए जिसे वर्ष में खर्च कर दी जाय तथा वह राशि न तो बड़ी हो न ही छोटी। खर्च किये जानेवाले धन से बचत से उतनी ही वित्तीय अनियमितता होती है जितनी व्यय में अधिकता से। प्राप्तियों का बजट प्राक्कलन लागू कर शुल्क, फीस आदि के दर के आधार पर होना चाहिए।

लेखा परीक्षा में पाये गए बजट एवं व्यय के प्रबंधन की कमियाँ तथा बजट नियमावली का उल्लंघन की चर्चा उत्तरवर्ती अनुच्छेदों (पैरा) में की गयी है।

अध्याय 2—वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.2 विनियोजन लेखाओं का सारांश

वर्ष 2010-11 की अवधि में 51 अनुदानों/विनियोजनों के विरुद्ध किये गये वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति तालिका 2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1: वास्तविक व्यय यथा मूल/पूरक प्रावधान

| (₹ करोड़ में) | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | व्यय की प्रकृति | मूल अनुदान/विनियोजन | पूरक अनुदान/विनियोजन | कुल | वास्तविक व्यय | बचत (-) / आधिक्य (+) |
| दरमत | I राजस्व | 36244.29 | 7979.89 | 44224.18 | 34842.39 | (-) 9381.79 |
| | II पूँजीगत | 10433.96 | 3548.67 | 13982.63 | 9281.25 | (-) 4701.38 |
| | III ऋण एवं अग्रिम | 730.67 | 471.20 | 1201.87 | 1102.64 | (-) 99.23 |
| कुल दरमत | | 47408.92 | 11999.76 | 59408.68 | 45226.28 | (-) 14182.40 |
| भारित | IV राजस्व | 4602.03 | 3.42 | 4605.45 | 4401.75 | (-) 203.70 |
| | V पूँजीगत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | VI लोक ऋण एवं पुनर्भुगतान | 1915.56 | 362.39 | 2277.95 | 2190.02 | (-) 87.93 |
| कुल भारित | | 6517.59 | 365.81 | 6883.40 | 6591.77 | (-) 291.63 |
| आकस्मिकता विधि में विनियोजन (यदि कोई हो) | | | | | | |
| कुल योग | | 53926.51 | 12365.57 | 66292.08 | 51818.05 | (-) 14474.03 |

(लोत: राज्य का विनियोजन लेखा)

लोट : कुल व्यय में ₹ 1028.22 करोड़ के राजस्व व्यय की वसूली तथा व्यय में कभी के रूप में समायोजित ₹ 85.32 करोड़ के पूँजीगत व्यय की प्राप्ति शामिल है।

वर्ष के दौरान प्राप्त अनुपूरक प्रावधान ₹ 12365.57 करोड़ विगत वर्षों के मूल प्रावधान में 12 प्रतिशत के विरुद्ध 23 प्रतिशत रहा।

44 अनुदान तथा पाँच विनियोजनों में ₹ 14747.74 करोड़ की बचत के कारण ₹ 14474.03 करोड़ की समग्र बचत हुई, जिसमें राजस्व भाग के अंतर्गत दो अनुदान/विनियोजनों में ₹ 273.71 करोड़ का आधिक्य हुआ जिसे संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत आधिक्य ₹ 273.71 करोड़ को नियमित करने की आवश्यकता है।

बचत/आधिक्य के मामले की सूचना नियंत्रण अधिकारियों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार के द्वारा दी गई (जून 2011) और उनसे यह अनुरोध किया गया कि वे महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारणों का स्पष्टीकरण दे लेकिन उनके स्पष्टीकरण अप्राप्त (नवम्बर 2011) थे।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 विनियोजन यथा आवंटन प्राथमिकता

बिहार बजट नियमावली के नियम 65 के अनुसार नियंत्रण पदाधिकारी को संवितरण पदाधिकारी से प्राप्त बजट प्रावक्कलन की जाँच करनी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि वे औपचारिक रूप से सही हैं। सभी व्यौरे तथा स्पष्टीकरण दिये गए हैं तथा पर्याप्त हैं। यदि वे अपर्याप्त हैं तो प्रावधान बदलना चाहिए। साथ ही बिहार बजट नियमावली के नियम 78 के अंतर्गत वित्त विभाग और प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रावक्कलन की प्रतियों की जाँच की जानी चाहिए तथा यदि किसी बिंदु पर जाँच की आवश्यकता हो तो उसे तुरंत कर लेनी चाहिए। प्रशासनिक विभाग को जिन बिंदुओं की जाँच होनी चाहिए उन्हें प्राप्त करते ही तुरंत प्रावक्कलन की जाँच शुरू कर देनी चाहिए।

प्रशासनिक विभाग द्वारा किये गए जौँच का उद्देश्य बठत प्राक्कलन तथा इनके पुनर्वितरण में अधिक अवधि अपर्याप्त प्रावधानों का पता लगाना है, जिसे वे वित्त विभाग से भी आवश्यक से कर सकते हैं क्योंकि उन्हें वार्षिक स्थिति का ज्ञान है। यह भी आवश्यक है कि वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये बजट परियों के उत्तर देखे भैं विलेन न हो। इसकी प्राप्ति ही सकती है यदि वित्त विभाग द्वारा वर्तीनित विन्दुओं पर प्रशासनिक विभाग पहले ही विचार कर लेता तथा पहले ही जौँच करवा लेता। यह अत्यंत अवश्यक है कि साधारणतः किसी बजट पर्वों का उत्तर इसके से एक साताह में दे दिया जाय तथा किसी स्थिति में पर्वों को एक प्रत्यावरा से अधिक समय तक अनुचरित न रखा जाय।

वित्तियोजन लेखा परियों में पाया गया कि ₹ 14717.27 करोड़ की बचत 41 मामले में दुई तथा प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक बचत दुई है (परिणाम 2.1)। राज्यसंघ दरमान अवधान के अंतर्गत जिन विभागों वे कुहन बचत किया वे हैं - शहरी विकास एवं आवास विभाग (₹ 1531.90 करोड़), आपदा प्रबंधन विभाग (₹ 355.21 करोड़), मानव संसाधन विभाग (₹ 1229.32 करोड़), जल संसाधन विभाग (₹ 1722.90 करोड़) तथा पूँजीगत दरमान खण्ड में वित्त विभाग (₹ 1174.44 करोड़)। बचत के कारण वहीं सूचित किये गए (विवरण 2011)।

तालिका-2.2: ₹ 500 एवं उससे अधिक बचत वाले अनुदान की विवरणी (₹ क्रेडिट)

| क्रम सं. | अनुदान का नाम एवं उद्द्देश्य | मूल | अनुपूरक | कुल | वास्तविक व्यय | बचत | अभ्यरण |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| राजस्व—संतरात | | | | | | | |
| 1 | 16-पंचायती राज विभाग | 1288.69 | 600.15 | 1888.84 | 1297.80 | 591.04 | 550.99 |
| 2 | 21-आनन्द संसाधन विभाग | 9348.22 | 546.91 | 9895.13 | 8665.81 | 1229.32 | 836.27 |
| 3 | 39-आपदा प्रबंधन विभाग | 382.60 | 1607.60 | 1990.20 | 634.99 | 1355.21 | 370.75 |
| 4 | 48-सहायी विकास एवं आवास विभाग | 1788.78 | 354.68 | 2143.46 | 611.56 | 1531.90 | 792.00 |
| 5 | 51-आनन्द कल्याण विभाग | 2349.01 | 341.14 | 2690.15 | 2082.53 | 607.62 | 597.55 |
| | कुल | 15157.30 | 3450.48 | 18607.78 | 13292.69 | 5315.09 | 5147.56 |
| पूँजीगत—दरमान | | | | | | | |
| 6 | 12-प्रेस विभाग | 35.52 | 1158.00 | 1193.52 | 19.08 | 1174.44 | 8.30 |
| 7 | 49-जल संसाधन विभाग | 2279.76 | 752.95 | 3032.71 | 1309.81 | 1722.90 | 1600.91 |
| | कुल | 2315.28 | 1910.95 | 4226.23 | 1328.89 | 2897.34 | 1609.21 |
| | नहायोंग | 17472.58 | 5361.43 | 22834.01 | 14621.58 | 8212.43 | 4756.77 |

(स्रोत: राज्यकार विविधोजन लेखा)

₹ 500 करोड़ से अधिक बचत के कुछ मामलों की समीक्षा कीजै की गयी है :

i. अनुदान संरुपा “16-पंचायती राज विभाग” (राज्यसंघ दरमान)

₹ 1888.84 करोड़ के प्रावधान के विन्दु व्यय केवल ₹ 1297.80 करोड़ आपरियामव्यवहार ₹ 591.04 करोड़ की बचत दुई है। साथ ही पुरक अनुदानों से विधियों (₹ 600.15 करोड़) का संवर्धन अनावश्यक सिद्ध दुआ क्योंकि ₹ 600.15 करोड़ में केवल ₹ 9.11 करोड़ का उपयोग किया गया तथा शेष (₹ 591.04 करोड़) की बचत दुई है। 31 जारी 2011 को ₹ 550.99 करोड़ का अभ्यरण किया गया था।

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

जिला द्वारा राशि की निकासी नहीं होने के कारण उपयोगिता प्रमाण-पत्र का समर्पण नहीं होने के कारण तथा माँग की प्राप्ति नहीं होने के कारण यह बचत हुआ। अंतिम बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।

ii. अनुदान संख्या “21-मानव संसाधन विभाग” (राजस्व दत्तमत)

₹ 546.91 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि कुल व्यय ₹ 8665.81 करोड़ मूल बजट (₹ 9348.22 करोड़ से कम था। बचत (₹ 1229.32 करोड़) मुख्यतः शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 112-विद्यालय में मध्याहन भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम, 0101-मध्याहन भोजन परियोजना (₹ 75 करोड़), 198-ग्रम पंचायत को सहायता अनुदान, 0002-पंचायत शिक्षकों को संचित भुगतान (₹ 120.72 करोड़) तथा 02-माध्यमिक शिक्षा, 109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 0001-अन्य विद्यालय (₹ 103.56 करोड़) के शीर्ष के अंतर्गत हुए। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

iii. अनुदान संख्या “39-आपदा प्रबंधन विभाग” (राजस्व दत्तमत)

कुल बजट ₹ 1990.20 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1355.21 करोड़ की बचत के साथ अनुदान बंद हुआ। बचत मुख्यतः शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत, 05-आपदा राहत निधि, 101-सुरक्षित निधि और जमा लेखे-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में स्थानांतरण 0001-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (₹ 886.26 करोड़) के शीर्ष के अंतर्गत हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

iv. अनुदान संख्या “48-शहरी विकास एवं आवास विभाग” (राजस्व दत्तमत)

₹ 2143.46 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध व्यय केवल ₹ 611.56 करोड़ था परिणामस्वरूप ₹ 1531.90 करोड़ की बचत हुई। साथ ही पूरक अनुदानों से निधियों ₹ 354.68 करोड़) का संवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि कुल व्यय ₹ 611.56 करोड़ वास्तविक प्राक्कलन के ₹ 1788.78 करोड़ से भी कम था। बचत मुख्यतः शीर्ष 2217-शहरी विकास 80-सामान्य 800-अन्य व्यय, 0116-एकीकृत शहरी विकास के लिए शहरी स्थानीय निकाय को दिया गया सहायता अनुदान (₹ 246.06 करोड़), 0122-जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन कार्यक्रम (₹ 194.86 करोड़) तथा 0123-स्वीकृत आवास एवं झुण्डी बस्ती विकास कार्यक्रम (₹ 95.93 करोड़) योजना परिव्यय के शीर्ष के अंतर्गत कठोरी के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किया गए।

v. अनुदान संख्या “51-समाज कल्याण विभाग” (राजस्व दत्तमत)

₹ 607.62 करोड़ की बचत के साथ अनुदान समाप्त हुआ जिसमें अनुपूरक अनुदान ₹ 341.14 करोड़ भी समाहित था। समग्र बचत के दृष्टिकोण से, मार्च 2011 के दौरान प्रदान किये गए पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय (₹ 2082.53 करोड़) वास्तविक बजट (₹ 2349.01 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँचा। अंतिम बचत के कारण नहीं सूचित किए गए।

vi. अनुदान संख्या “49-जल संसाधन विभाग” (पूँजीगत दत्तमत)

₹ 1722.90 करोड़ की बचत के साथ अनुदान समाप्त हुए। जिसमें ₹ 752.95 करोड़ अनुपूरक अनुदान थे। समग्र बचत की दृष्टि से मार्च 2011 के दौरान प्रदत्त अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि व्यय (₹ 1309.81 करोड़) मूल बजट (₹ 2279.76 करोड़) के स्तर तक नहीं पहुँचा। यह बचत (₹ 1722.90 करोड़)

मुख्यतः शीर्ष 4700-वृद्धि रिंगार्ड पर पैंजीगत परिवाय, 04-फिल्म-बटुआ-चलन बेसिन पर रिंगार्ड परियोजना (सीए वाणिजिक) 800-अन्व व्यय, 0102-फिल्म-बटुआ-चलन बेसिन पर रिंगार्ड परियोजना (कार्य) (ए.आई.डी.पी.) ₹ 18.22 करोड़। एवं 4711-बाढ़ विवेशन परियोजना पर पैंजीगत परिवाय, 01-बाढ़ विवेशन-001-विवेशन एवं प्रशासन, 0108-नंगा नदी पर केंद्र प्रायोजित कानून नियंत्रक कार्य योजना 25 प्रतिशत सञ्चालन कार्य (₹ 75.99 करोड़) के अंतर्गत ए.आई.डी.पी. के योजनागत सूचित नहीं किए गए। और उन बचत के कारण सूचित नहीं किए गए।

2.3.2 सतत बचत

लेखा परीक्षा जाँच में पता चला कि वित्त खाँच वर्षों के दौरान 11 मानसों के प्रत्येक आवासों में ₹ 20 करोड़ से अधिक की सतत बचत हुई जो कुल अनुदानों का 11 से 76 प्रतिशत थी (परिशिष्ट 2.2)। सतत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (वर्ष 2011)।

2.3.3 पिछले वर्ष से संबंधित आधिकाय प्रावधान का वियमितिकरण अपेक्षित

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार किसी राज्य सरकार के लिए यह अधिकार्य है कि वह अनुदान/विवियोजन के आधिकाय को विधानसभा द्वारा विवरित कराए। जो आधिकाय व्यय के लिए अनुच्छेद में कोई समय नहीं किया गया है फिर भी विवियोजन लेखा पर लोक लेखा समिति के द्वारा समीक्षा होने के पश्चात ही आधिकाय व्यय का विवियमन किया जाता है। तथापि, वर्ष (1977-2010) तक ₹ 7115.94 करोड़ की राशि का आधिकाय व्यय विवियमन हेतु लिखित थे जैसा कि परिशिष्ट 2.3 में दिखाया गया है।

2.3.4 वर्ष 2010-11 की अवधि में प्रावधान से अधिक व्यय का वियमितिकरण अपेक्षित

जैसा कि तालिका 2.3 में दर्शाया गया है कि दो अनुदान/विवियोजनों में आधिकाय प्रावधान से अधिक ₹ 273.71 करोड़ हो गयी, तथा यह वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य की संचित विधि से थी। संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत इसके वियमितीकरण करने की आवश्यकता थी।

तालिका 2.3: 2010-11 के आधिकाय व्यय

| क्रम सं. | अनुदान/विवियोजन का वार्ष एवं संभाल | कुल अनुदान/विवियोजन | व्यय | आधिकाय | (₹ करोड़ में) |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| राज्यव्यय - दरमानक/अधिकाय | | | | | |
| 1 | 05-शास्त्राधारी संविवालय | 5.50 | 5.85 | 0.35 | |
| 2 | 15-पैशान | 5868.08 | 6141.44 | 273.36 | |
| | कुल | 5873.58 | 6147.29 | 273.71 | |

2.3.5 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

विहार बजट वियमनवली के वियमन 117 में पूरक अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्णित है। वियमन के अनुसार, जब प्रशासनिक विभाग आता है कि पूरक अनुदान आवश्यक है, तो उसे पहले वित्त विभाग से परामर्श करना चाहिए, चाहे व्यय के किसी व्यये विशिष्ट ग्रद का सामना करना पढ़े अथवा अप्रत्याशित कारणों से दरमत अनुदान में संभावित आधिकाय को संरक्षण देना (कवर करना) पढ़े।

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

वर्ष के दौरान 34 मामलों में (30 अनुदान/विनियोजन) प्राप्त कुल ₹ 3684.99 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान जिसके प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख आधिक्य शामिल था अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं हुआ जैसा कि परिशिष्ट 2.4 में दिखाया गया है।

पुनः अनुदान संख्या 05 में ₹ 0.06¹ करोड़ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ, जिससे कुल ₹ 0.35 करोड़ का अरक्षित आधिक्य व्यय हुआ। रोचक यह रहा कि 31 मार्च 2011 को ₹ 0.17 करोड़ बिना विचार किए अभ्यर्पित कर दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियंत्रण अधिकारी बिहार वित्तीय नियमों के अधीन नियम-11 के प्रावधानों को लागू कराने में विफल रहे। वास्तविक आवश्यकताओं के मूल्यांकन किए बगैर अनुपूरक प्रावधानों की माँग एवं अरक्षित आधिक्य व्यय वाले अनुदानों के अंतर्गत निधियों का अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण इन पर नियंत्रणी पदाधिकारियों के नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

2.3.6 अत्यधिक/अनावश्यक निधियों का पुनर्विनियोजन

बिहार बजट नियमावली का नियम 37 पुनर्विनियोजन को परिभाषित करता है कि यह किसी विशिष्ट धन राशि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि का हस्तांतरण है जो कि विनियोजन की एक इकाई से दूसरी इकाई के अंतर्गत विशिष्ट व्यय को पूरा करता है।

लेखा परीक्षा जाँच में पता चला कि 11 अनुदानों जिसमें 26 उप-शीर्ष शामिल थे के अंतर्गत ₹ 54.29 करोड़ के पुनर्विनियोजन द्वारा दी गई अतिरिक्त निधियाँ अनावश्यक साबित हुई क्योंकि अंतिम बचत ₹ 91.82 करोड़ हुई, जिन्हे परिशिष्ट 2.5 में दर्शाया गया है। उसी प्रकार जौ मामलों में जिनमें सात अनुदान शामिल थे, वहाँ पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 108.09 करोड़ की अविवेकपूर्ण निकासी हुई जहाँ इन अनुदानों में कुल ₹ 40.81 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जो तालिका 2.4 में दर्शाया गया है।

¹ मूल ₹ 5.44 करोड़, पूरक ₹ 0.06 करोड़, वास्तविक व्यय ₹ 5.85 करोड़, अभ्यर्पित ₹ 0.17 करोड़ एवं अधिकाई व्यय ₹ 0.35 करोड़

तालिका २.४: वित्तीयों के पुनर्वित्तीयोंजन द्वारा अपर्याप्त विकासी

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं. | अनुदान संख्या | लेखा शीर्ष एवं विवरण | कृत प्राप्ति | पुनर्वित्तीयोंजन | अतिरिक्त आमदानी |
|----------|---------------|--|--------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | 2401-नक्सत शुभ कर्म, 109-विश्वास एवं सम्झौते का प्रशिदान, 0001-प्रसादत, जिला एवं अनुसंधान व्यापारा | 114.36 | -1.50 | 0.40 |
| 2 | 3 | 2059-साक विविध कार्य, 80-सामाजिक, 053-अनुसंधान एवं गवर्नमेंट, 0001-अनुसंधान एवं सम्झौता | 112.00 | -2.19 | 1.74 |
| 3 | 9 | 2425-नामकरण, 001-विदेशी एवं प्रशासन, 0002-अनुसंधान | 38.35 | -1.18 | 0.02 |
| 4 | 21 | 2202-सामाजिक विकास, 01-नामांकन किसान, 101-नामकरण प्राविधिक लक्ष्य, 0001-सरकारी प्राविधिक एवं मानवाधिकार व्यापार | 2481.00 | -0.20 | 17.40 |
| 5 | 41 | 5054-साक एवं पुल पर फैलावी विविध, 101-सेतु, 0105-विदेशी व्यवसायिक विविध से बाजार एवं दूरस्थ बेच के लैंच सङ्करण एवं पुल विभाग | 100.00 | -25.00 | 15.99 |
| 6 | 41 | 5054-साक एवं सेतु पर फैलावी विविध, 03-नामकरण उत्तराधिकार, 337-साक कार्य, 0106-केंद्रीय सङ्करण विविध | 80.00 | -20.00 | 2.89 |
| 7 | 41 | 5054-साक एवं सेतु पर फैलावी विविध, 03-नामकरण उत्तराधिकार, 337-साक कार्य, 0109-बाजार एवं पार्वती क्षेत्रों के जोड़ने के लिए सङ्करण एवं पुल का विभाग (विदेश व्यापार क्षेत्र) | 220.00 | -55.00 | 0.46 |
| 8 | 43 | 2203-नामकरण विकास, 001-विदेशी एवं प्रशासन, 0001-नामकरणी विकास विभागात्मक | 2.02 | -0.02 | 0.43 |
| 9 | 49 | 2701-नामकरण विविध, 80-सामाजिक, 001-विदेशी एवं प्रशासन, 0001-सामाजिक विविध व्यापार, स्थानात् (अधिकारी प्रमुख) | 12.26 | -3.00 | 1.48 |
| कुल | | | | | 3159.99 -108.09 40.81 |

(ज्ञात: अनुदान पंची एवं विलक्षण लेने, विदेश बलान)

अनुदान संख्या-३ के शीर्ष 2059 “लोक निमाण कार्य”, 80-सामाजिक, 053-“अनुसंधान एवं स्वरक्षावाद”, 0001-अनुसंधान एवं स्वरक्षावाद के अतिरिक्त पुनर्वित्तीयोंजन द्वारा ₹ 2.19 करोड़ की निकासी की गई जबकि ₹ 1.74 करोड़ तक का आधिकार्य व्यापार किया गया।

इसी तरह अनुदान संख्या-४१ के शीर्ष “5054 सङ्करण एवं पुल पर फैलावी विविध व्यवसायिक विविध से बाजार एवं दूरस्थ क्षेत्रों के बीच सङ्करण एवं पुल का विभाग के अतिरिक्त विविध द्वारा ₹ 2.5 करोड़ की निकासी की गई जबकि ₹ 15.99 करोड़ की आधिकार्य व्यवहार द्वारा। अपेक्षित तथ्य दर्शात है कि अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त विविध देने के बदले न्यून स्थानों से विविधों की निकासी की गई। पुरुष: 50 मानवों में ₹ 116.19 करोड़ की पुनर्वित्तीयोंजन द्वारा की गई निकासी अपार्टमेंट वी क्वार्ट्स की इन लिंगियों के प्रासादाविक विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 243.21 करोड़ की बचत तुरंदी थी जिसे परिशिष्ट 2.6 में दिखाया गया है।

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

उपरोक्त उदाहरणों से पता चलता है कि नियंत्रण अधिकारी का पूर्वानुमान लगाने वास्तविक आवश्यकतों एवं व्यय तथा पुनर्विनियोजन की अद्यतन सूचना प्राप्त करने में विफल रहे। निकासी आवश्यकता के आधार पर न कर तदर्थ तरीके से की गयी।

2.3.7 पर्याप्त अभ्यर्पण

बिहार बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार जैसे ही पूर्वानुमान हो, वर्ष के अंत होने की प्रतीक्षा किये बिना सभी प्रत्याशित बचत सरकार को तुरंत अभ्यर्पित कर देना चाहिए अन्यथा कुछ अन्य इकाई अथवा इकाइयों, जिसका पूर्वानुमान निश्चित रूप से समय पर हो सकता है के अंतर्गत आधिक्य को पूरा करने की आवश्यकता है। संभावित भविष्य आधिक्य हेतु बचत रिजर्व में नहीं रखना चाहिए।

25 अनुदान/विनियोजनों में शामिल 72 उप-शीर्षों, ₹ 4879.59 करोड़ के कुल प्रावधान के ₹ 3629.82 करोड़ प्रत्येक मामले में ₹ पाँच करोड़ एवं अधिक की निधियों का अभ्यर्पण कर दिया गया जैसा की परिशिष्ट 2.7 में दिखाया गया है प्रत्येक इकाई में अभ्यर्पित राशि का परास (रेंज) 50.70 से 99.83 प्रतिशत के बीच रहा। इन निधियों का अभ्यर्पण या तो योजना/कार्यक्रम के क्रियान्वयन नहीं हो पाने के कारण या उनके धीमे क्रियान्वयन के कारण हुआ।

पुनः 26 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत योजनाओं के लागू नहीं होने के कारण 93 योजनाओं में शत-प्रतिशत अभ्यर्पण ₹ 1817.18 करोड़ हुआ (परिशिष्ट 2.8) तथा इन योजना से प्राप्त होने वाले लाभ एवं सेवाओं से लाभार्थी वंचित रहे।

2.3.8 वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

आठ मामलों में अविवेकपूर्ण अभ्यर्पित की गई राशि (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख और अधिक) वास्तविक बचत से अधिक थी जो इन विभागों में बजटीय नियंत्रण की कमी या अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाती है। बचत की राशि ₹ 738.69 करोड़ के विलम्ब अभ्यर्पित राशि ₹ 1012.14 करोड़ थी, फलतः ₹ 273.45 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण किया गया (परिशिष्ट 2.9)। अस्तित्वहीन अधिशेष का अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण उपरोक्त प्रावधान के अनुरूप नहीं था जो विभाग के नियंत्रण अधिकारी के पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाता है।

2.3.9 अनुमानित बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया जाना

लेखा परीक्षा जाँच में पता चला कि बिहार बजट नियमावली 112 के उल्लंघन कर 22 अनुदानों/विनियोजनों में ₹ 7544.26 करोड़ की बचत हुई जिनमें से ₹ 4223.89 करोड़ का अभ्यर्पण नहीं किया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.10 में दिखाया गया है।

इसके अलावे, 35 मामले में जहाँ प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक का अभ्यर्पण मार्च 2011 के अंतिम दो कार्य दिवस में ₹ 4012.34 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया (परिशिष्ट 2.11)।

इससे पता चलता है कि नियंत्रणी पदाधिकारी बजटीय नियंत्रण के लिए जवाबदेह होने की मौलिक जिम्मेदारी के निर्वाह में विफल रहे और इन निधियों का उपयोग न तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गयी जिनके लिए ये आवंटित की गई थी न ही अन्य जरूरतमंद विभागों के उपयोग के लिए पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध कराया गया।

2.3.10 संघर व्यव

बिहार बजट नियमावली के नियम 113 के अनुसार धन को जलदबाजी में अववा लिहा विवार किये केवल इसलिए खर्च नहीं करना चाहिए कि धन उपलब्ध है। अववा अनुदान के व्याप्रगत होने का खतरा है। वैसे अनुदान जिनके लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकते हैं उन्हें लोन का खतरा है। वैसे अन्योन्यत कर देना चाहिए। संभावित बचत के अन्तिक का अभिव्यक्त ऐसे व्यव जो अगले वर्ष तक प्रतीका कर सकते हैं, उनके नये नमदों के प्रस्तुति हेतु अवसर के रूप में नहीं करना चाहिए। विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माहिनों में संघर व्यव साधारणतः वित्तीय नियमितता-भंग के रूप में माना जाएगा।

इसके विपरीत परिशिष्ट 2.12 में सूचीबद्ध 26 मुख्य शीर्षों के संबंध में वर्ष के कुल व्यव का 50 प्रतिशत से अधिक व्यव वर्ष के अन्तिम तिमाही नैं या मार्च 2011 में था।

बिहार बजट नियमावली के नियम 113 के उल्लंघन के साथ-साथ इस प्रकार के व्यव की नियमितता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

2.4 लिला मिलान किया हुआ व्यव

बिहार वित्त नियम 475(viii) के अनुसार विभाग के प्रधान के लेखों में दर्शाये गये आवाहन और सम्बन्धित विभाग के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) साते में दर्शाये गये आंकड़ों के समांशोधन के लिए संयुक्त रूप से विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार उत्तरदायकी होंगे जबकि को इसके विपरीत कोई विशेष आदेश अववा वियम न हो।

यद्यपि, विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों के साथ समांशोधन नहीं किये जाने के संबंध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सतत इंगित किया जाता रहा है जैसा कि परिशिष्ट 2.13 में दर्शाया गया है। वर्ष 2010-11 के दौरान विभाग के प्रधान द्वारा 80 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹ 43444.37 करोड़ (प्रत्येक नामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) का समांशोधन होनी किया गया। इन मुख्य शीर्ष में से ₹ 23642.70 करोड़ (54.42 प्रतिशत पॉवर मुख्य शीर्ष² से सम्बन्धित थे।

2.5 आकर्षिकता विधि से अधिगम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) एवं 283(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार आकर्षिकता विधि अधिनियम 1950 के द्वारा गज्ज की आकर्षिकता विधि की स्थापना की गई। आकर्षिकता एवं अप्रत्याशित तरह का व्यव, जिसे विधानसभा की स्वीकृति तक ठोल नहीं जा सकता, के लिए इस विधि से अधिगम दिया जा सकता है। वर्ष के प्रारंभ में। अप्रैल 2010 की शेष ₹ 350 करोड़ या। यह विधि अगदाय प्रकृति की है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य विधान संडेल द्वारा सभी आकर्षिकता विधि को ₹ 350 करोड़ से ₹ 1500 करोड़ सहायता और पुनर्वास के लिए अत्यधिक तौर पर बढ़ा दिया गया। यद्यपि, सभी विधि को वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 350 करोड़ कर दिया गया।

² 2049-व्याज मुगाताल, 2055-पुलिल, 2071-पैशन और तेवा निवृत्ति के अन्य लाभ, 2202-सामान्य लिक्षण और 5054-साइक एवं नोटु पर पूर्णीगत परिवर्क

2010-11 के दौरान सरकार ने ₹ 1349.54 करोड़ (कुल बजटीय प्रावधन का 2.04 प्रतिशत) के 119 आहरणों को स्वीकृत किया जिनमें से ₹ 680.92 करोड़ (कुल आकस्मिकता निधि का 50 प्रतिशत) के 55 आहरणों (परिशिष्ट 2.14) सामान्य उद्देश्यों जैसे मोटर गाड़ी का कय, कार्यालय व्यय, वेतन एवं भत्ते, किसानों को सहायता, फसल प्रिमियम आदि के लिए थे। चूंकि इन मदों में व्यय का पूर्वानुमान किया जा सकता था, राज्य के आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी अनियमित और गलत था यद्यपि वर्ष के दौरान पूरी राशि की प्रतिपूर्ति कर दी गयी।

2.6 चयनित अनुदान की समीक्षा

वर्ष 2010-11 के दौरान अनुदान संख्या-49 “जल संसाधन विभाग³” की बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा, बचत, आधिक्य एवं अनुदान का विस्तार और अनुपूरक माँगों के आधार पर की गयी (अगस्त 2011)। समीक्षा के दौरान पायी गई महत्वपूर्ण बिन्दुओं का विस्तार पूर्ण विवरण नीचे दर्शाया गया है:

2.6.1 अनुदान संख्या 49 जल संसाधन विभाग

अनुदान के बजट प्रावधान ₹ 4010.22 करोड़ (मूल: ₹ 3005.36 करोड़ और अनुपूरक: ₹ 1004.86 करोड़) के विरुद्ध ₹ 2056.56 व्यय किया गया था, परिणामतः ₹ 1953.66 करोड़ की बचत (कुल प्रावधान का 48.71 प्रतिशत) हुई (परिशिष्ट 2.15)। जैसा कि नीचे चर्चा किया गया है:

- i वर्ष 2010-11 के दौरान अनुदान की कुल बचत ₹ 1953.66 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1812.40 करोड़ अभ्यर्पित किया गया इसमें से ₹ 468.82 करोड़ 31 मार्च 2011 को अभ्यर्पित किया गया। ₹ 141.26 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किया गया था, जो अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण और इस सत्य को दर्शाता है कि इस निधि का उपयोग सरकार के अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में नहीं किया जा सका।
- ii ₹ 1953.66 करोड़ के बचत को देखते हुए, ₹ 1004.86 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान (₹ 251.91 करोड़ “राजस्व में और ₹ 752.95 करोड़ पूँजीगत शीर्ष) में अनावश्यक सिद्ध हुआ व्ययोंकि वास्तविक व्यय (₹ 2056.56 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 3005.36 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँचा।
- iii राजस्व (दत्तमत) भाग अंतर्गत बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अधीन हुए : 2700-मुख्य सिंचाई, लघु शीर्ष के नीचे, 01-कोसी बेसिन की सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना), 0001-स्थापना (₹ 1.60 करोड़), 101-रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना) 0002-अन्य रख रखाव व्यय (₹ 1.30 करोड़), 03-सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना), 0001-स्थापना (₹ 2.54 करोड़) और 101-रख रखाव एवं मरम्मती (गैर-योजना), 0002-अन्य रख-रखाव व्यय (₹ 16.47 करोड़), 2701-मध्यम सिंचाई, 01-मुख्य सिंचाई (वाणिज्यिक), 101-कोसी परियोजना (गैर-योजना), 0002-अन्य रख रखाव व्यय (कमला एवं उत्तर बिहार हेतु) (₹ 1.51 करोड़), 2705-कमांड क्षेत्र विकास, 001-निदेशन एवं

³ संबंधित, 2700-वृहत सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 2705- कामांड क्षेत्र विकास, 2711-बाढ़ नियंत्रण और जल विस्तारण, 3451-सविवालय-आर्थिक सेवायें, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 4711-बाढ़ नियंत्रण पर पूँजीगत परिव्यय और 6701- ऋण और मध्यम सिंचाई।

प्रशासन (योजना), 0102-क्षेत्र विकास कमाण्ड स्टर (₹ 4.75 करोड़) और 2711-बांड नियंत्रण तथा जल विकास, 01-बांड नियंत्रण, 001-विदेश एवं प्रशासन (ग्रे-योजना), 0003-क्षेत्रीय स्थापना (₹ 7.66 करोड़) बचत का कारण वित्त विभाग लगाये गये प्रतिबंध और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राशि का अभ्यर्थन था। अंतिम बचत का कारणों को सूचित ही किया गया।

iv ईंजीनियर (दसगत) योग की बचत (₹ 1722.90 करोड़) मुख्यतः विमान शीर्ष के अंतर्गत है: 4700-मुख्य सिंचाई पर पूर्जीगत परिवहन, 04-फिल्ड-बटुआ-चब्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (ग्रे वाणिज्य), 800-अल्ल व्यय (राज्य योजना), 0102-फिल्ड-बटुआ-चब्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (एआई-बी-पी) (₹ 18.22 करोड़), 0103-फिल्ड-बटुआ-चब्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (नावार्ड) (₹ 6.50 करोड़), 4701-मध्यम सिंचाई पर पूर्जीगत परिवहन, 04-मध्यम सिंचाई (ग्रे-वाणिज्य), 800-अल्ल व्यय (राज्य योजना), 0101-फिल्ड-बटुआ-चब्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) ₹ 6.03 करोड़ और 4711-बांड नियंत्रण परियोजनाओं पर पूर्जीगत परिवहन, 01-बांड नियंत्रण, 001-विदेश एवं प्रशासन (राज्य योजना), 0108-जगा बटी पर कारब विदेशीक कार्य (₹ 75.99 करोड़), बचत एआई-बी-पी के योजना परिवहन में पुनरीक्षण और एआई-बी-पी में योजना सम्बोधित होने के कारण हुई। अंतिम बचत का सूचित नहीं किया गया है।

v योजनाओं की स्वीकृति नहीं होने और योजनाओं का एआई-बी-पी के योजना परिवहन में योजना (स्कीम) सम्बोधित होने के कारण पाँच योजनाओं/कार्य (परिषिष्ठ 2.16) के फिलावधन पर कुल ₹ 541.50 करोड़ का प्रावधान विभिन्न उप-शीर्ष के अंतर्गत अव्यवहृत रहा। परिणामतः इसे अभ्यर्थित कर दिया गया। यह दर्शाता है कि परियोजनाएं, पर्याप्त योजना के बिना बनाई गयी।

vi यात मुख्य शीर्ष (परिषिष्ठ 2.17) के अंतर्गत ₹ 370.38 करोड़ के प्रावधान के विलम्ब, कुल ₹ 99.20 करोड़ की धन राशि पुनरीक्षितयोजना द्वारा विना विवाह किये अध्यर्थित कर दिया गया तथा इन कार्यों पर ₹ 292.27 करोड़ का व्यय हुआ। परिणामस्वरूप ₹ 21.09 करोड़ का आविक व्यय हुआ जो बदल दर्शाता है कि विकासी एवं व्यवन पराधिकारी सह विचारी पराधिकारी का व्यय पर अप्राप्ति नियंत्रण था।

vii विदेश बजट विधमावली के विवरम 113 के अनुसार यह राज्य के दिन में नहीं है कि धन का जट बाजी में अद्यवा बिना विचार किये केवल दिसातिए संबंध कर दिया जाए। क्योंकि यह उल्लंघन है अद्यवा अनुदान के व्यवहार होने के अतरे से बचा जा सके। लोक हित में जिन अनुदानों का लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें अध्यर्थित कर देना चाहिए। संभावित बचतों को इसलिए नहीं योका जा सकता कि अगले वर्ष के नये नदी से समायोजन किया जाएगा। विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की दरानता सामान्य विवाहिता उल्लंघन होगा। वर्ष 2010-11 के दोहरा पाँच मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1395.68 करोड़ (परिषिष्ठ 2.18) का व्यय हुआ, जिसमें मार्च 2011 के दोहरा ₹ 530.74 करोड़ (38 प्रतिशत) का व्यय हुआ। मार्च 2011 में व्यय की सधनता वित्तीय वियार्गों का अनुसरण नहीं किया जाना दर्शाता है।